कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 12/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 11.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना मरदह पुलिस द्वारा 02 अदद नाजायज देशी तमंचा . 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन एवम क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट परवेक्षण में दिनांक 10.05.24 को चेकिगं के दौरान नखतपुर पूर्वाचल एक्सप्रेस वे अण्डर पास के नीचे बहद ग्राम नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर से 02 अदद नाजायज देशी तमंचा . 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 02 नफर अभियुक्तगण 1 . शुभम गुप्ता पुत्र राजा गुप्ता निवासी धर्मसीरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ 2 . दिलीप राजभर पुत्र रुपेश राजभर निवासी कमालपुर छोटी सेमरी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तरशुदा अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही संबन्धित थाने द्वारा की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.शुभम गुप्ता पुत्र राजा गुप्ता निवासी धर्मसीरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ

2.दिलीप राजभर पुत्र रुपेश राजभर निवासी कमालपुर छोटी सेमरी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

बरामदगी

1.02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर दोनो अभियुक्तो के पास से।

2.दो अदद मोबाईल फोन व 300 रुपया नकद शुभम गुप्ता व दिलीप राजभर के पास से।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त शुभम गुप्ता पुत्र राजा गुप्ता –

1-मु0अ0सं0-88/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

2-मु0अ0 सं0-04/24 धारा 323/336/452/504/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ।

3-मु0अ0सं0-172/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ।

अभियुक्त दिलीप राजभर –

1-मु0अ0सं0-88/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

02. लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत SST/FST ड्यूटी में अनुपस्थित (मजिस्ट्रेट) के विरुद्ध प्रभारी मानिटरिंग टीम द्वारा दर्ज कराया गया अभियोग

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद गाजीपुर के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्जनपदीय बार्डर पर चेकिंग हेतु SST/FST टीम का गठन किया गया है। जिनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगायी गयी है। सहायक व्यय प्रेक्षक के द्वारा उपरोक्त टीम में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण की रोस्टर चेकिंग किये जाने पर कुल 08 नफर अधिकारी/कर्मचारीगण ड्यूटी में अनुपस्थित पाये गये। जिसके सम्बन्ध में श्री विवेक यादव प्रभारी मानिटरिंग टीम लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 गाजीपुर उ0प्र0 के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर सभी अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 196/2024 धारा 134 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अधिकारी/कर्मचारीगण जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया

1. दिग्विजय सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर, समता पी0जी0 कालेज, सादात, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
2. राकेश पाण्डेय असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
3. अनुज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
4. रविशंकर वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
5. विजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
6. नितीश कुमार भारद्वाज असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)
7. कमलेश सिंह, सहकारी निरीक्षक वर्ग -2, सहायक विकास अधिकारी/सहा0 सीओ(फ्लाई स्क्वाड)
8. श्रवण कुमार शुक्ल असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (SST मजिस्ट्रेट)

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर